(12) -7

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं0 पटना 515) पटना, शुक्रवार, 14 जून 2024

सं० 11/आ० नी०–I–05/2024 सा०प्र०—9432

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो० सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–14 जून 2024

विषय :–रोस्टर पंजी का संधारण संबंधी विस्तृत दिशा–निदेश के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियुक्ति/प्रोन्नति के क्रम में रोस्टर पंजी का संधारण एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर सुस्पष्ट अवधारणा का होना नितांत आवश्यक है। इस क्रम में विभागीय स्तर पर आयोजित किए गए आरक्षण रोस्टर संबंधी कई कार्यशालाओं में कर्मचारियों/पदाधिकारियों से प्राप्त फीडबैक एवं आये दिन इस संबंध में अन्य विभागों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों से होने वाले विचार–विमर्श के आलोक में आवश्यकता महसूस की जा रही है कि रोस्टर पंजी के संधारण के संबंध में एक नवीनतम एवं विस्तृत दिशा–निदेश का परिचालन आवश्यक हो गया है।

2. विदित हो कि विभागीय पत्रांक–349 दिनांक–19.07.1985 द्वारा निर्गत दिशा–निदेशों के आलोक में सम्प्रति कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ संशोधन आवश्यक हो गए हैं। इस क्रम में विस्तृत दिशा–निदेश का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जो निम्नांकित है :–

(i) रोस्टर पंजी में नामों की प्रविष्टि कर्मी विशेष के योगदान के पश्चात की जाती है। इस क्रम में योगदान करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम, योगदान की तिथि, वास्तविक कोटि एवं अनुशंसित कोटि को रोस्टर पंजी में इन्द्राज किया जाता है। उदाहरणस्वरूप– यदि रोस्टर क्लीयरेंस 100 पदों के लिए होता है, अनुशंसा 80 पदों के लिए प्राप्त होती है तथा मात्र 70 कर्मी ही योगदान

करते हैं, तो ऐसी स्थिति में योगदान करने वाले मात्र 70 कर्मियों के नाम हीं रोस्टर पंजी में इन्द्राज किए जायेंगे।

(ii) गुणागुण के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के कर्मी के नाम की प्रविष्टि यथास्थिति गैर आरक्षित वर्ग हेतु कर्णांकित रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध की जाएगी तथा विहित प्रपत्र (नीचे अंकित) के कॉलम–6 में नियुक्त होने वाले कर्मी की वास्तविक कोटि का उल्लेख करते हुए अभ्युक्ति (कॉलम–8) में Selected on Merit अंकित किया जाएगा। इस क्रम में बिहार अधिनियम–3/1992 की धारा–4(3) के आलोक में ऐसे कर्मचारी/पदाधिकारी की गिनती गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी।

(iii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मी मूलतः जिस आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि से संबंध रखते हों, उनकी गिनती उसी कोटि में करते हुए उनके नाम की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में व्यवहृत अंतिम रोस्टर बिन्दु के पश्चात की जाएगी।

(iv) सम्प्रति मात्र एक अदद रोस्टर पंजी का संधारण पर्याप्त है।

(v) योगदान करने वाले कर्मचारियों/पदाधिकारियों के नामों की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में करते समय कोई भी रोस्टर बिन्दु रिक्त नहीं रखा जाता है। उदाहरणस्वरूप– यदि किसी पद विशेष पर नियुक्ति के क्रम में रोस्टर बिन्दु–1 से 20 तक व्यवहृत होता है तथा नियुक्ति के समय रोस्टर बिन्दु–18, जो अनुसूचित जनजाति के लिए कर्णांकित है, पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के योगदान नहीं देने के कारण इसे रिक्त नहीं रखा जाएगा, बल्कि रोस्टर बिन्दु–19 की प्रविष्टि रोस्टर बिन्दु–18 पर तथा रोस्टर बिन्दु–20 की प्रविष्टि रोस्टर बिन्दु–19 पर करते हुए रोस्टर बिन्दु–20 को अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त रखा जाएगा। इस क्रम में रोस्टर बिन्दु–20 की अभ्युक्ति में **"रोस्टर बिन्दु–18 के स्थान पर अनुसूचित जनजाति हेतु अग्रणित"** अंकित किया जाएगा।

(vi) वैसे विभाग/कार्यालय, जहाँ पूर्व से रोस्टर पंजी संधारित नहीं हो अथवा रोस्टर पंजी गुम हो गया हो अथवा नष्ट हो गया हो, ऐसी स्थिति में वर्तमान में कार्यरत सभी कर्मचारियों/पदाधिकारियों की विवरणी रोस्टर बिन्दु–1 से प्रारम्भ करते हुए रोस्टर पंजी में इन्द्राज कर अगले रोस्टर बिन्दु से अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। एतद संबंधी कार्रवाई विशेष परिस्थिति में ही की जा सकेगी।

(vii) रोस्टर पंजी में रोस्टर क्लीयरेंस से संबंधित प्रविष्टि नहीं की जाती है। रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई (उपस्थापन/अनुमोदन आदि) संचिका का अंश होता है।

(viii) रोस्टर पंजी में नामों की प्रविष्टि के आधार पर वरीयता का निर्धारण नहीं होता है, अर्थात वरीय कर्मी के नाम की प्रविष्टि अपेक्षाकृत नीचे तथा कनीय कर्मी के नाम की प्रविष्टि अपेक्षाकृत उपर हो जाने से भी उनकी आपसी वरीयता प्रभावित नहीं होती है।

(ix) किसी कर्मी के सेवानिवृत्ति/प्रोन्नति/त्यागपत्र/मृत्यु आदि की स्थिति में रोस्टर पंजी में अंकित उनके नाम के सामने अभ्युक्ति (कॉलम–8) में इस तथ्य का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है। साथ ही कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों की गिनती कॉलम–7 एवं 8 के आधार पर की जानी है।

(x) सुरक्षित रखे गए पदों के लिए अंतिम रोस्टर बिन्दु व्यवहृत किया जाता है।

(xi) रोस्टर पंजी में नामों की प्रविष्टि के पश्चात स्थापना संबंधी वरीय पदाधिकारी का मुहरित हस्ताक्षर आवश्यक है।

(xii) रोस्टर पंजी संधारण का नमूना प्रपत्र निम्नवत है–

नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु रोस्टर पंजी का प्रपत्र

(क) विभाग/कार्यालय का नाम–
(ख) सेवा/संवर्ग–
(ग) पदनाम–
(घ) वेतन स्तर–
(ङ) कुल स्वीकृत पदों की संख्या–
(च) स्थायी/अस्थायी–

क्रं०	भर्ती का वर्ष	रोस्टर बिन्दु	कर्णांकित कोटि का नाम	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	नियुक्त व्यक्ति की वास्तविक कोटि	कोटि, जिसके विरूद्ध अनुशंसा प्राप्त हुई है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2023	1	UR	ए० प्रसाद/ 01.12.2023	UR	UR	
2	2023	2	EBC	बी० सिंह/ 01.12.2023	EBC	EBC	
3	2023	3	SC	सी० कुमार/	SC	SC	

क्रं०	भर्ती का वर्ष	रोस्टर बिन्दु	कर्णांकित कोटि का नाम	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	नियुक्त व्यक्ति की वास्तविक कोटि	कोटि, जिसके विरूद्ध अनुशंसा प्राप्त हुई है।	अभ्युक्ति
				01.12.2023			
4	2023	4	UR	डी० चौधरी/ 01.12.2023	SC	UR	Selected on Merit
5	2023	5	BC	ई० कुमार/ 01.12.2023	BC	BC	

3. एतद संबंधी पूर्व निर्गत आदेश/परिपत्र आदि के असंगत अंश (यदि हों) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन,
मो० सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 515-571+500-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in